न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
44/22	88, 89 RTA 136 LRAct	[illegible]	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
गणेशी बाई उर्फ गोपाली	बनाम	सरकार

2022/150

वकील :- वेंकट कुमार वैष्णव एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
30/5/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।	
4/7/22	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 2.8.22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
2/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलबी सम्मन अप्राप्त। वास्ते इंतजार सम्मन पत्रावली दिनांक 11/10/22 को पेश हो।	
11/10/22	आज पीठासीन अधिकारी के ~~अन्य कार्य मे~~ स्थानान्तरण व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 5/12/22 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
5/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः तहसीलदार को लिखा जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो।	
19/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। तहसीलदार को पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट दिनांक 30/01/23 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध
30/01/23	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27/3/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
27/3/23	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9/5/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
13/6/23	पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct इस आशय का न्यायालय में पेश किया गया कि ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां में स्थित भूमि में वादिनी के शामलाती खाते में खाता संख्या 157 नया 65 पुराना के ख.न. 293 रकबा 2.00 बीघा ख.न. 294 रकबा 2.07 बीघा ख.न. 295 रकबा 6.11 बीघा कुल किता 3 रकबा 10.18 बीघा भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम गोपाली पुत्री मूल्या दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादनी का समस्त दस्तावेजों में वादिनी का नाम गणेशी बाई पुत्री मूल्या दर्ज है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: वादनी का अशोधनीय नाम गोपाली बाई के स्थान पर गणेशी बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बरई के अनुसार ग्राम रीछड़ा की आराजी ख.न. 293 रकबा 2.00 बीघा ख.न. 294 रकबा 2.07 बीघा एंव ख.न. 295 रकबा 6.11 बीघा कुल किता 3 रकबा 10.18 बीघा भूमि के मुताबिक राजस्व	

ांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
	रिकार्ड गोपाली पुत्री मूल्या के नाम हि. 1/3 से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। गोपाली को गणेशी बाई के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में प्रार्थिया दादाबाड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में निवास करती है। अतः गोपाली पुत्री मूल्या के स्थान पर गणेशी बाई उर्फ गोपाली पुत्री मूल्या दर्ज रिकार्ड करने की अनुशंसा की जाती है। इसमें प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार इटावा का अवलोकन किया। प्रार्थिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जमाबंदी ग्राम रीछड़ा संवत 2076-2079 पेश की है। तथा साथ ही आधार कार्ड जनआधार कार्ड, व वोटर आईडी भी पेश की है। मुताबिक जमाबंदी प्रार्थिया का नाम ग्राम रीछड़ा के ख.नं. 293 रकबा 2.00 बीघा ख.नं. 294 रकबा 2.07 बीघा एवं ख.नं. 295 रकबा 6.11 बीघा भूमि में प्रार्थिया का नाम गोपाली पुत्री मूल्या हि. 1/3 दर्ज होना पाया जाता है। साथ ही जन आधार कार्ड, आधार कार्ड एवं वोटर आईडी में भी प्रार्थिया का नाम गणेशी बाई पुत्री मूल्या दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 LRAct में गोपाली पुत्री मूल्या के स्थान पर गणेशी बाई पुत्री मूल्या दर्ज कराना चाहती है। मुताबिक तहसीलदार इटावा रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का अशोधनीय नाम गोपाली पुत्री मूल्या से गणेशी बाई उर्फ गोपाली पुत्री मूल्या शुद्ध करने की अनुशंसा की है। उपरोक्त विवेचनानुसार, एवं तहसीलदार इटावा की अनुशंसा के आधार पर ग्राम रीछड़ा के ख.नं. 293 व 294 एवं 295 में प्रार्थिया/वादिनी के अशोधनीय नाम गोपाली पुत्री मूल्या के स्थान पर गणेशी बाई उर्फ गोपाली पुत्री मूल्या का नाम शुद्ध कर समस्त रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार इटावा को दिये जाते है। तहसीलदार इटावा को तदनुसार तहरीर जारी हो। निर्णय की	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	प्रति भेजी जावे। पत्रावली बाद तामील तक्मील के दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

''प्रशासन गांव के संग अभियान–2023''

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला – बारां

–: आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाहरी व भू.अ.नि. कडेथानार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार छबडा/नायब तहसीलदार छबडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारां की जमाबन्दी सम्बत् 2076-2079 में खाता संख्या 157 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रीछडा	157	गोपाली पुत्री मूल्या	गणेशीबाई उर्फ गोपाली पुत्री मूल्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2023/771 दिनांक 13/6/23

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार छबड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री गणेशीबाई उर्फ गोपाली पुत्री मूल्या को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। Ho रीछडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा
....